

संकल्प

विषय:- सीतामढ़ी जिला बाजपट्टी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामाकरण "शहीद रामफल मंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजपट्टी" करने के संबंध में स्वीकृति ।

समय-समय पर सरकार द्वारा की गई घोषणाओं, जनभावनाओं एवं महाविभूतियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों का नामाकरण महाविभूतियों के नाम पर किया जाता रहा है । तदक्रम में सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामाकरण "शहीद रामफल मंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजपट्टी" करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है ।

2. नामाकरण के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.06.2015 में मद् संख्या-07 के द्वारा प्राप्त है ।

3. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।



(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-10/विविध-15-16/2014 416(10) /स्वा०,पटना दिनांक- 29.06.15

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500(पाँच सौ) मुद्रित प्रतियां अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें ।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ सभी राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी,/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी अशैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित अधीक्षक, सदर अस्पताल/सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2,3,7,10 एवं कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त 5 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव ।

Nagmani